उत्तराखण्ड शासन,
उच्च शिक्षा अनुभाग–3
संख्याः — / XXIV-C-3 / 2020–13(14)2020,
देहरादून, दिनांकः 05 नवम्बर, 2020

कार्यालय ज्ञाप

स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2012(यथा संशोधित) की धारा 29 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार विश्वविद्यालय के व्यवस्थापक मण्डल द्वारा ''स्वामी राम हिमायलन विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम, 2013'' के संबंध में उपलब्ध कराये गये संशोधनों को उपान्तण के साथ ''स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय (संशोधन) परिनियम, 2020'' के नाम से राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

(आनन्द बर्द्धन)
प्रमुख सचिव

संः 861 (1) / XXIV-C-3 / 2020–13(14)2020, तद्दिनांक।
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. कुलपति, स्वामी राम हिमायलन विश्वविद्यालय, स्वामी राम नगर, जौलीग्रांट, डोईवाला, देरादून को स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय (संशोधन) परिनियम, 2020 की प्रति सहित।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
3. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(एम0एम0 सेमवाल)
संयुक्त सचिव।

स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय (संशोधन) परिनियम, 2020

राज्यपाल, स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2012(उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 12 वर्ष 2013) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम, 2013 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित परिनियम बनाते है:–

स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय (संशोधन) परिनियम, 2020

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1 (1) इन परिनियमों का संक्षिप्त नाम स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय (संशोधन)परिनियम, 2020 है।

(2) ये तुरंत प्रवृत्त होगा।

परिनियम 2.01(1), 2.02(3), 2.03(2), 2.04(च), 2.04(ट), 2.07(1) तथा 2.11(1) का संशोधन

2. स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम, 2013 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल परिनियम कहा गया है) के परिनियम 2. 01(1), 2.02(3), 2.03(2), 2.04(च), 2.04(ट), 2.07(1) व 2.11(1) के स्थान पर निम्नवत् परिनियम प्रतिस्थापित कर दिये जायेगें, अर्थात्–

"2.01(1) कुलाधिपति की नियुक्ति की शर्ते व निर्बन्धन ऐसे होंगी जैसे प्रायोजित संस्था द्वारा विनिश्चित किया जाय तथा वह पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा।

2.02(3) कुलाधिपति सभी तथ्यों की समीक्षा के उपरान्त व्यवस्थापक मण्डल के सिवाय् विश्वविद्यालय के अन्य किसी भी प्राधिकारी या अधिकारी के ऐसे किसी संकल्प या आदेश या कार्यवाही जो उसकी राय में विश्वविद्यालय के हित में नहीं है या विश्वविद्यालय के अधिनियम, परिनियमों, नियमों या अध्यादेशों, जैसी स्थिति हो, के प्रावधानों के अनुरुप नही है, को स्थगित या संशोधित कर सकेगाः

परन्तु यह कि कुलाधिपति का ऐसा निर्णय व्यवस्थापक मण्डल के अनुसमर्थन के अधीन होगा।

2.03(2) कुलपति के कार्यकाल की समाप्ति पर व्यवस्थापक मण्डल के अनुमोदन के अधीन वह पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र होगा।

2.04(च) कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन से विश्वविद्यालय के सुचारु संचालन हेतु शिक्षको को अस्थाई आधार पर नियुक्त करना;

परन्तु यह कि ऐसी नियुक्ति की अवधि 01 (एक) वर्ष से अधिक के लिए नहीं होगी।

2.04(ट) वित्त अधिकारी की संस्तुति पर जारी किये जा चुके चैको का भुगतान रुकवाने हेतु बैंको को निर्देश देना;

2.07(1) कुलसचिव विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा एंव उसकी नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा परिनियम 10.05 के प्रावधानों के अन्तर्गत गठित चयन समिति द्वारा संस्तुत 03 (तीन) व्यक्तियों की सूची में से की जायेगी:

परन्तु यह कि पदधारी कुलसचिव के अभ्यर्थी होने पर, वह चयन समिति का सदस्य नहीं होगा।

2.11(1) वित्त अधिकारी विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा एंव उसकी नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा परिनियम 10.05 के प्रावधानों के अन्तर्गत गठित चयन समिति द्वारा संस्तुत 03 (तीन) व्यक्तियों की सूची में से की जायेगी।''

परिनियम 3.02, 3.04(1), 3.06(1), 3.08(2), 3.12(1) तथा 3.15(1) का संशोधन

3 मूल परिनियम के परिनियम 3.02, 3.04(1), 3.06(1), 3.08(2), 3.12(1) व 3.15(1) के स्थान पर निम्नवत् परिनियम प्रतिस्थापित कर दिये जायेंगे, अर्थात्–

''3.02 प्रायोजित संस्था द्वारा प्रतिकुलाधिपति की नियुक्ति ऐसी शर्तो व निर्बन्धनों पर की जायेगी जैसा प्रायोजित संस्था उचित समझे तथा वह पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा।

3.04(1) परीक्षा नियंत्रक विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा एंव उसकी नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा परिनियम 10.05 के प्रावधानों के अन्तर्गत गठित चयन समिति द्वारा संस्तुत 03 (तीन) व्यक्तियों की सूची में से की जायेगी।

3.06(1) डीन अनुसंधान विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा एंव उसकी नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा परिनियम 10.05 के प्रावधानों के अन्तर्गत गठित चयन समिति द्वारा संस्तुत 03 (तीन) व्यक्तियों की सूची में से की जायेगी।

3.08(2) प्रधानाचार्य/डीन/निदेशक की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा परिनियम 10.05 के प्रावधानों के अन्तर्गत गठित चयन समिति द्वारा संस्तुत 03 (तीन) व्यक्तियों की सूची में से की जायेगी।

3.12(1) पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा परिनियम 10.05 के प्रावधानों के अन्तर्गत गठित चयन समिति द्वारा संस्तुत 03 (तीन) व्यक्तियों की सूची में से की जायेगी।

3.15(1) विधि अधिकारी की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा परिनियम 10. 05 के प्रावधानों के अन्तर्गत गठित चयन समिति द्वारा संस्तुत 03 (तीन) व्यक्तियों की सूची में से की जायेगी।''

परिनियम 4.06(1) का संशोधन

4. मूल परिनियम के परिनियम 4.06(1) के स्थान पर निम्नवत् परिनियम प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्–

''4.06(1) विद्या परिषद् के अन्य सदस्य निम्नलिखित होगें: –

(क) प्रति कुलपति, यदि कोई हो;–

(ख) संकायों के संकायाध्यक्ष;

(ग) परीक्षा नियंत्रक;

(घ) डीन अनुसंधान;

(ड़) संघटक महाविद्यालयों/विद्यालयों के प्रधानाचार्य;

(च) कुलाधिपति द्वारा 03 (तीन) वर्षों के लिए नामित तीन शिक्षाविद् जो विश्वविद्यालय के कर्मचारी न हो;

(छ) कुलपति द्वारा चक्रानुक्रम के आधार पर प्रत्येक संकाय से 02 (दो) वर्षों के लिए नामित दो विभागाध्यक्ष;

(ज) कुलपति द्वारा चक्रानुक्रम के आधार पर, प्रत्येक संकाय से 02 (दो) वर्षों के लिए नामित एक प्राध्यापक जो विभागाध्यक्ष न हो;

(झ) कुलपति द्वारा चक्रानुक्रम के आधार पर प्रत्येक संकाय से 02 (दो) वर्षों के लिए नामित एक सह–प्राध्यापक;

(ञ) कुलपति द्वारा चक्रानुक्रम के आधार पर प्रत्येक संकाय से 02 (दो) वर्षों के लिए नामित एक सहायक प्राध्यापक; तथा

(ट) विद्या परिषद् द्वारा 03 (तीन) वर्षों के लिए उनके विशेष ज्ञान के लिए सहयोजित तीन व्यक्ति

जो कि शैक्षणिक कर्मचारी वर्ग का सदस्य न हो।''

परिनियम 10.04, 10.05, 10.06, 10.09, 10.10 तथा 10.12 का संशोधन

5. मूल परिनियम के परिनियम 10.04, 10.05, 10.06, 10.09, 10.10 व 10.12 के स्थान पर निम्नवत् परिनियम प्रतिस्थापित कर दिये जायेगें, अर्थात्–

''10.04 शैक्षणिक कर्मियों की चयन समिति में निम्न सदस्य होगें, अर्थात्:–

(क) कुलपति – अध्यक्ष;
(ख) कुलसचिव –सचिव;
(ग) व्यवस्थापक मण्डल द्वारा नामित 01 (एक) व्यक्ति;
(घ) कुलपति द्वारा नामित सम्बन्धित संघटक महाविद्यालय का प्रधानाचार्य या डीन अनुसंधान, जैसी स्थिति हो; एवं
(ड) विभागाध्यक्ष बशर्ते वह एक प्राध्यापक हो; एवं
(च) कुलाधिपति द्वारा नामित 02 (दो) विषय विशेषज्ञ जो प्राध्यापक से निम्न पद पर न हो तथा विश्वविद्यालय से बाहर के हों।

10.05 विश्वविद्यालय के अधिकारियों एवं प्रशासनिक कर्मियों की चयन समिति में निम्न सदस्य होगें, अर्थातः–

(क) कुलपति – अध्यक्ष;
(ख) कुलसचिव –सचिव;
(ग) कुलाधिपति द्वारा नामित 02 (दो) विशेषज्ञ; एवं
(घ) व्यवस्थापक मण्डल द्वारा नामित 01 (एक) व्यक्ति।

10.06 अन्य सभी कर्मचारियों, जो कि उपरोक्त परिनियमों 10.04 एंव 10.05 में उल्लिखित नही है, की चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य होगे, अर्थातः–

(क) व्यवस्थापक मण्डल द्वारा नामित 01 (एक) व्यक्ति –अध्यक्ष;
(ख) कुलाधिपति द्वारा नामित 02 (दो) व्यक्ति जिनमें 01 (एक) विशेषज्ञ हो;
(ग) कुलपति द्वारा नामित 01 (एक) व्यक्ति; एवं
(घ) कुलसचिव द्वारा नामित 01 (एक) व्यक्ति जो उप–कुलसचिव के पद से कम न हो।

10.09 चयन समिति की संस्तुतियों एंव समुचित प्राधिकारी/अधिकारी के अनुमोदन पर, प्रबन्ध मण्डल द्वारा

निर्दिष्ट अधिकारी, नियुक्ति की निबन्धन व शर्तो समाहित नियुक्ति आदेश विश्वविद्यालय में कार्य हेतु नियुक्त व्यक्ति को जारी किया जायेगा।

10.10 विश्वविद्यालय के सभी अधिकारियों, शैक्षणिक कर्मियों, प्रशासनिक कर्मियों एंव अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति के प्रकार एंव प्रकृति, परिलब्धियाँ, नियुक्ति की निबन्धन व शर्ते ऐसी होगी जैसा परिनियमों/अध्यादेशों द्वारा अवधारित किया जायेगा या किसी विशेष नियुक्ति के अन्तर्गत प्रदत्त निबन्धन एवं शर्तो के अनुरुप होगा।

10.12 प्रबन्ध मण्डल की संस्तुति पर कुलाधिपति किसी अधिकारी, शैक्षणिक कर्मी, प्रशासनिक कर्मी एंव अन्य कर्मचारी को, विश्वविद्यालय द्वारा निश्चित सेवानिवृत्ति की आयु पूरी होने पर ऐसी शर्तो व निबन्धनों पर नियुक्त कर सकेगा जैसा समुचित प्राधिकारी उचित समझे।

परिनियम 13.02 का संशोधन

6. मूल परिनियम 13.02 के स्थान पर निम्नवत् परिनियम प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्–

"13.02 विश्वविद्यालय या इसके संघटक महाविद्यालयों/विद्यालय व विभागों के किसी भी छात्र को किसी भी दण्डात्मक आदेश के विरुद्ध, कुलाधिपति के समक्ष दण्डात्मक आदेश सूचित किये जाने के 30 (तीस) दिनों के भीतर, अपील करने का अधिकार होगा। दण्डात्मक आदेश के सम्बन्ध में कुलाधिपति का निर्णय अन्तिम व बाध्यकारी होगा।"

In pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of 'the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification No: ..... date: ..... for general information.

THE SWAMI RAMA HIMALAYAN UNIVERSITY (AMENDMENT) STATUTES, 2020

(Uttrakhand Act No 12 of 2013)

In exercise of the powers by section 29 of the Swami Rama Himalayan University Act 2012, the Governor is pleased to make the following statutes with a view to further amend the following Swami Rama Himalayan University First Statutes 2013:-

Short title and Commencement

1. (1) These Statutes may be called the Swami Rama Himalayan University (Amendment) Statutes, 2020.

(2) It shall come into force at once.

Amendment of Statutes 2.01(1), 2.02(3), 2.03(2), 2.04(f), 2.04(k), 2.07(1) and 2.11(1)

2. Statute 2.01(1), 2.02(3), 2.03(2), 2.04(f), 2.04(k), 2.07(1) and 2.11(1) In Swami Rama Himalayan University First Statutes, 2013(hereinafter referred to as the principal statutes) shall be substituted as follows namely:-

"2.01(1) The terms and conditions for appointment of the Chancellor shall be as decided by the promoting society and he shall be eligible for re-appointment.

2.02(3) The Chancellor, after reviewing all facts may suspend or amend any such resolution or order or proceedings of any authority or officer of the University, except that of the Board of Governors, which in his opinion, is not in the interest of the University or not in conformity with the provisions of the Act, Statutes, Rules or Ordinances of the University, as the case may be:

Provided that such decision of the Chancellor shall be subject to ratification of the Board of Governors.

2.03(2) On completion of the tenure of the Vice-Chancellor, he shall be eligible for re-appointment, subject to approval of the Board of Governors.

2.04(f) With the prior approval of the Chancellor, appoint teachers on temporary basis for the smooth functioning of the University:

Provided that such appointments shall not be for a period exceeding one year.

2.04(k) On recommendation of the Finance Officer, direct the bankers to stop payments of cheques which have already been issued.

2.07(1) The Registrar shall be a whole time salaried officer of the University and he shall be appointed by the Chancellor from a list of (03) three persons recommended by the Selection Committee constituted as per the provisions of Statue 10.05:

Provided that if the incumbent registrar is one of the candidates, then he shall not be the member of the selection committee.

2.11(1) The Finance Officer shall be a whole time salaried officer of the University and he shall be appointed by the Chancellor from a list of (03) three persons recommended by the Selection Committee constituted as per the provisions of Statue 10.05.''

Amendment of Statutes 3.02, 3.04(1), 3.06(1), 3.08(2), 3.12(1) and 3.15(1)

3 Statute 3.02, 3.04(1), 3.06(1), 3.08(2), 3.12(1) and 3.15(1) of the principal statutes shall be substituted as follows namely:

"3.02 The Pro-Chancellor shall be appointed by the promoting society on such terms and conditions as the promoting society deems fit and he shall be eligible for re-appointment.

3.04(1) The Controller of Examinations shall be a whole time salaried officer of the University and he shall be appointed by the Chancellor from a list of (03) three persons recommended by the Selection Committee constituted as per the provisions of Statue 10.05.

3.06(1) The Dean Research shall be the whole time salaried officer of the University and the shall be appointed by the Chancellor from a list of (03) three persons recommended by the Selection Committee constituted as per the provisions of Statue 10.05.

3.08(2) The Principal/Dean/Director shall be appointed by the Chancellor from a list of (03) three persons recommended by the Selection Committee

constituted as per the provisions of Statue 10.05.

3.12(1) The Librarian shall be appointed by the Chancellor from a list of (03) three persons recommended by the Selection Committee constituted as per the provisions of Statue 10.05.

3.15(1) The Law Officer shall be appointed by the Chancellor from a list of (03) three persons recommended by the Selection Committee constituted as per the provisions of Statue 10.05.''

Amendment of Statute 4.06(1)

4 Statute 4.06(1) of the principal Statutes shall be substituted as follows namely:

"4.06(1) The other members of the Academic Council shall be as follows:

(a) Pro-Vice-Chancellor, if any;
(b) Deans of Faculties;
(c) The Controller of Examinations;
(d) The Dean Research;
(e) Principals of Constituent Colleges/Schools;
(f) Three Academicians who are not employees of the University, nominated by the Chancellor for a period of three years;
(g) Two Heads of Departments from each Faculty on rotation basis, nominated by the Vice-Chancellor for a period of two years;
(h) One Professor from each Faculty who is not the Head of the Department, on rotation basis, nominated by the Vice-Chancellor for a period of two years;
(i) One Associate Professor from each Faculty on rotation basis, nominated by the Vice-Chancellor for a period of two years;
(j) One Assistant Professor from each Faculty on rotation basis, nominated by the Vice-Chancellor for a period of two years; and
(k) Three persons who are not members of the academic staff, co-opted by the Academic Council for their specialized knowledge, for a period of three years."

Amendment of Statutes 10.04, 10.05, 10.06, 10.09,

5 Statute 10.04, 10.05, 10.06, 10.09, 10.10 and 10.12 of the principal statutes shall be substituted as follows namely:

10.10 and 10.12

"10.04 The Selection Committee for academic staff shall consist of the following members, namely:-

(a) The Vice-Chancellor – Chairperson;
(b) The Registrar– Secretary;
(c) One person nominated by the Board of Governors;
(d) Head of the Constituent College or Dean Research, as the case may be, nominated by the Vice-Chancellor;
(e) Head of the Department provided he is a Professor;
(f) 02 (two) subject specialistes, not below the rank of the Professor and who are from outside the University, nominated by the Chancellor.

10.05 The Selection Committee for officers and administrative staff of the University shall consist of the following members, namely:-

(a) The Vice-Chancellor– Chairperson;
(b) The Registrar – Secretary;
(c) 02 (Two) specialists nominated by the Chancellor; and
(d) 01 (One) person nominated by the Board of Governors.

10.06 The Selection Committee for all other employees who are not included in Statutes 10.04 and 10.05 above shall consist of the following members, namely:-

(a) One person nominated by the Board of Governors - Chairperson;
(b) 02 (Two) persons nominated by the Chancellor of which 01 (one) shall be an specialist ;
(c) 01(One) person nominated by the Vice–Chancellor; and
(d) 01 (One) person nominated by Registrar, not below the rank of Deputy Registrar.

10.09 Based on the recommendations of the Selection Committee and on approval of the appropriate authority/officer, the Officer designated by the Board of Management shall issue the appointment order containing terms and conditions of the appointment

for the person selected for service in the University.

10.10 The type and nature of appointment, emoluments, terms and conditions of appointment of all officers, academic staff, administrative staff and other employees of the University shall be as provided by the Statutes/Ordinances or as may be provided under terms and conditions of any special appointment.

10.12 On recommendation of Board of Management, Chancellor may appoint any officer, academic staff, administrative staff and other employee beyond the age of superannuation fixed by the University on such terms and conditions as the appropriate authority deems fit"

Amendment of Statute 13.02

6 Statute 13.02 of the principal statutes shall be substituted as follows namely:

"13.02 Any student of the University or its Constituent Colleges/Schools and Departments shall have the right to appeal before the Chancellor against any punitive order within thirty days of the communication of the punitive order. The decision of the Chancellor regarding the punitive order shall be final and binding."